रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

# भारत का राजपत्र
# The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07092026-276021
CG-DL-E-07092026-276021

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4612] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 31, 2026/भाद्र 9, 1948
No. 4612] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 31, 2026/BHADRA 9, 1948

## पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2026

**का.आ. 4799(अ).**—केन्द्रीय सरकार, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तत्कालीन पर्यावरण और वन मंत्रालय की अधिसूचना संख्यांक का.आ. 1533(अ), तारीख 14 सितंबर, 2006 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है) के अनुसरण में संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण, पुडुचेरी (जिसे इसमें इसके पश्चात् प्राधिकरण कहा गया है) का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

| क्र.सं. | नाम और पता | पदनाम |
|---|---|---|
| 1. | डॉ. एम. द्वारकानाथ,<br>50, तुलसी निवास, विष्णु गार्डन, कोवाई पुडुर, कोयम्बटूर-641042 | अध्यक्ष; |
| 2. | डॉ. वी. रवितचंदीरण,<br>सह-प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष, जंतु विज्ञान विभाग, सरकारी स्नातकोत्तर अध्ययन और अनुसंधान संस्थान कांची ममूनिवार, लॉज़पेट,पुडुचेरी-605008 | सदस्य;और |

| | | |
|---|---|---|
| 3. | निदेशक,<br>विज्ञान विभाग, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण, पुडुचेरी सरकार, तीसरा तल, पीएचबी भवन, अन्ना नगर, पुडुचेरी-605005 | सदस्य-सचिव। |

2. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

3. प्राधिकरण ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा और ऐसी प्रक्रियाओं का अनुसरण करेगा, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. प्राधिकरण, अपने विनिश्चय इस अधिसूचना के पैरा 6 के अधीन गठित संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति की सिफारिशों के आधार पर करेगा ।

5. प्राधिकरण के सभी विनिश्चय बैठक में किए जाएंगे और एकमत से होंगे :

परंतु बहुमत द्वारा विनिश्चय किए जाने की दशा में, इसके समर्थन और विरोध में विचारों के ब्यौरे, कार्यवृत्त में स्पष्ट रूप से अभिलिखित होंगे और उनकी एक प्रति केंद्रीय सरकार को भेजी जाएगी ।

6. केन्द्रीय सरकार, प्राधिकरण की सहायता के प्रयोजन के लिए पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के परामर्श से पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (जिसे इसमें इसके पश्चात् समिति कहा गया है) का गठन करती है जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:--

| क्र.सं. | नाम और पता | पदनाम |
|---|---|---|
| 1. | डॉ. के. श्रीनिवासमूर्ति,<br>प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष, पृथ्वी विज्ञान विभाग, भौतिक, रसायनिक तथा अनुप्रयुक्त विज्ञान, पॉन्डिचेरी विश्वविद्यालय, आर.वी. नगर, कालापेट, पुडुचेरी-605014 | अध्यक्ष; |
| 2. | डॉ. एम.वेलन,<br>संख्या 3/18, सैवन्थ स्ट्रीट, धर्मराजा नगर, पोरूर,चेन्नई-600116 | सदस्य; |
| 3. | डॉ. नेहरू कुमार वेथीलिंगम,<br>सी2, आरजी ग्रीन होम्स, IV क्रोस स्ट्रीट, नातेसन नगर, पुडुचेरी-605004 | सदस्य; |
| 4. | डॉ. जी.विजयाकुमार,<br>प्राध्यापक, सिविल इंजीनियरी विभाग, पुडुचेरी प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, पुडुचेरी – 605014 | सदस्य; |
| 5. | डॉ. के. शिवकुमार,<br>प्राध्यापक, पारिस्थितिकी तथा पर्यावरण विज्ञान विभाग, जीवन विज्ञान विद्यालय, पॉन्डिचेरी विश्वविद्यालय, आर वी नगर, कालापेट, पुडुचेरी-605014 | सदस्य; |
| 6. | डा. आर. श्रीदर,<br>प्राध्यापक, रसायनिक इंजीनियरी विभाग, पुडुचेरी प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय, पुडुचेरी-605014 | सदस्य; |
| 7. | डॉ. एस. गजलक्ष्मी,<br>प्राध्यापक, प्रदूषण नियंत्रण और पर्यावरणीय इंजीनियरी केंद्र, पॉन्डिचेरी विश्वविद्यालय, पुडुचेरी – 605014 | सदस्य; |
| 8. | डॉ. ए. शंकरण,<br>प्राध्यापक तथा विभागाध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग, पॉन्डिचेरी केंद्रीय विश्वविद्यालय, पुडुचेरी – 605014 | सदस्य;और |

| | | |
|---|---|---|
| 9. | ज्येष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी,<br>विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण विभाग, पुडुचेरी सरकार, तीसरा तल, पीएचबी भवन, अन्ना नगर, पुडुचेरी – 605005 | सदस्य-सचिव। |

7. समिति के अध्यक्ष और सदस्य इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से चार वर्ष की अवधि के लिए पद धारण करेंगे ।

8. समिति ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगी और ऐसी प्रक्रियाओं का पालन करेगी, जो उक्त अधिसूचना में विनिर्दिष्ट हैं ।

9. समिति सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत पर काम करेगी और अध्यक्ष प्रत्येक मामले में सर्वसम्मति पर पहुंचने का प्रयास करेगा और यदि सर्वसम्मति पर नहीं पहुंचा जा सकता है तो बहुमत का मत अभिभावी होगा ।

10. हितों के टकराव से बचने के लिए,-

(i) प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्य तथा समिति के अध्यक्ष और सदस्य,-

(क) यह घोषित करेंगे कि वे किस परामर्श संगठन और परियोजना के प्रस्तावकों से भी जुड़े हैं; और

(ख) किसी परियोजना के लिए पर्यावरणीय समाघात निर्धारण और पर्यावरण प्रबंधन योजना की तैयारी के संबंध में कोई परामर्श नहीं देगें या सहयोग नहीं करेंगे, जो उनके कार्यकाल के दौरान प्राधिकरण द्वारा विनिश्चित और समिति द्वारा मूल्यांकित की जानी है; और

(ii) यदि पूर्ववर्ती पांच वर्षों के दौरान, प्राधिकरण या समिति के अध्यक्ष या किसी भी सदस्य ने किसी परियोजना प्रस्तावक के लिए परामर्श सेवाएं प्रदान की हैं या पर्यावरण समाघात निर्धारण अध्ययन आयोजित किया है, तो उस स्थिति में वे स्वयं को ऐसे प्रस्तावकों द्वारा प्रस्तावित किसी भी परियोजना के मूल्यांकन की प्रक्रिया में प्राधिकरण या समिति की बैठक से पृथक् रखेंगे ।

11. पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र, प्राधिकरण और समिति के लिए सचिवालय के रूप में कार्य करने के लिए किसी अभिकरण को अधिसूचित करेगा। सचिवालय वित्तीय और संभार तंत्र संबंधी सहायता, जिसके अंतर्गत वास-सुविधा, परिवहन और उक्त अधिसूचना के अधीन उनके कानूनी कृत्यों के संबंध में अन्य सुविधाएं भी हैं, प्रदान करवाएगा ।

12. प्राधिकरण के अध्यक्ष और सदस्यों तथा समिति के अध्यक्ष और सदस्यों की बैठक की फीस, यात्रा भत्ता और मंहगाई भत्ता पुडुचेरी संघ राज्यक्षेत्र के सुसंगत नियमों के उपबंधों के अनुसार संदत्त किया जाएगा।

[फा. सं. आईए3-13/3/2022-आई.ए.III]

रजत अग्रवाल, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

## NOTIFICATION

New Delhi, the 31st August, 2026

**S.O. 4799(E).—** In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 3 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and in pursuance of the notification of the Government of India, in the *erstwhile* Ministry of Environment and Forests, number S.O. 1533(E), dated the 14th September, 2006 (hereinafter referred to as the said notification), the Central Government, hereby constitutes the Union Territory Level Environment Impact Assessment Authority, Puducherry (hereinafter referred to as the Authority) comprising of the following Members, namely:−

| Sl. No. | Name and Address | Designation |
|---|---|---|
| 1. | Dr. M. Dwarakanath,<br>50,Thulasi Nivas,Vishnu gardens, Kovai Pudur, Coimbatore-641042 | Chairman; |

| | | |
|---|---|---|
| 2. | Dr. V. Ravitchandirane,<br><br>Associate Professor and Head, Department of Zoology, Kanchi Mamunivar Government Institute for Postgraduate Studies and Research, Lawspet, Puducherry-605008 | Member; and |
| 3. | Director,<br><br>Department of Science, Technology and Environment, Government of Puducherry, 3rd Floor, PHB Building, Anna Nagar, Puducherry-605005 | Member-Secretary. |

2. The Chairman and Members of the Authority shall hold office for a period of four years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

3. The Authority shall exercise the powers and follow the procedures as specified in the said notification.

4. The Authority shall take its decision on the recommendations of the Union Territory Level Expert Appraisal Committee constituted under paragraph 6 of this notification.

5. All decisions of the Authority shall be taken in a meeting and shall be unanimous:

Provided that, in case a decision is taken by majority, the details of views, for and against it, shall be clearly recorded in the minutes and a copy thereof sent to the Central Government.

6. The Central Government, in consultation with the Union Territory of Puducherry, for the purpose of assisting the Authority, hereby constitutes the Union Territory Level Expert Appraisal Committee of Puducherry (hereinafter referred to as the Committee), comprising of the following Members, namely:−

| Sl. No. | Name and Address | Designation |
|---|---|---|
| 1. | Dr. K. Srinivasmoorthy,<br><br>Professor and Head, Department of Earth Sciences, School of Physical, Chemical and Applied Sciences, Pondicherry University, R.V. Nagar, Kalapet, Puducherry-605014 | Chairman; |
| 2. | Dr. M. Velan,<br><br>No.3/18, Seventh Street, Dharmaraja Nagar, Porur, Chennai-600116 | Member; |
| 3. | Dr. Nehru Kumar Vaithilingam,<br><br>C2, RG Green Homes, IV Cross street, Natesan Nagar, Puducherry-605004 | Member; |
| 4. | Dr. G. Vijayakumar,<br><br>Professor, Department of Civil Engineering, Puducherry Technological University, Puducherry-605014 | Member; |
| 5. | Dr. K. Siva Kumar,<br><br>Professor,<br><br>Department of Ecology and Environmental Science, School of Life Sciences, Pondicherry University, R.V. Nagar, Kalapet, Puducherry-605014 | Member; |
| 6. | Dr. R. Sridar,<br><br>Professor,<br><br>Department of Chemical Engineering, Puducherry Technological University, Puducherry-605014 | Member; |
| 7. | Dr. S. Gajalakshmi,<br><br>Professor,<br><br>Centre for Pollution Control and Environmental Engineering, Pondicherry University, Puducherry-605014 | Member; |

| | | |
|---|---|---|
| 8. | Dr. A. Sankaran,<br>Professor and Head<br>Department of Economics, Pondicherry Central University, Puducherry-605014 | Member; and |
| 9. | Senior Scientific Officer,<br>Department of Science, Technology and Environment, Government of Puducherry, 3rd Floor, PHB Building, Anna Nagar, Puducherry-605005. | Member-Secretary. |

7. The Chairman and Members of the Committee shall hold office for a period of four years from the date of publication of this notification in the Official Gazette.

8. The Committee shall exercise such powers and follow such procedures as specified in the said notification.

9. The Committee shall function on the principle of collective responsibility and the Chairman shall endeavour to reach a consensus in each case, and if consensus cannot be reached, the view of the majority shall prevail.

10. In order to avoid any conflict of interest,−

(i) the Chairman and Members of the Authority and the Chairman and Members of the Committee shall,−

(a) declare as to which consulting organisation they have been associated with and also the project proponents; and

(b) not undertake any consultation or associate with regard to preparation of environment impact assessment and environment management plan for a project, which is to be decided by the Authority or to be appraised by the Committee during their tenure; and

(ii) if the Chairman or any Member of the Authority or the Committee has provided consultancy services or conducted environment impact assessment studies for any project proponent during the preceding five years, in that situation they shall recuse themselves from the meetings of the Authority or the Committee in the process of appraisal of any project being proposed by such proponents.

11. Union Territory of Puducherry shall notify an agency to act as Secretariat for the Authority and the Committee. The Secretariat shall provide financial and logistic support including accommodation, transportation and such other facilities in respect of its statutory functions under the said notification.

12. The sitting fees, travelling allowances and dearness allowances to the Chairman and Members of the Authority and the Chairman and Members of the Committee, shall be paid in accordance with the provisions of relevant rules of the Union Territory of Puducherry.

[F. No. IA3-13/3/2022-IA.III]

RAJAT AGARWAL, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

VINOD KUMAR
Digitally signed by VINOD KUMAR
Date: 2026.09.07 11:46:30 +05'30'